उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या– 285/2022/1103/41-2022-02(अनु0 का0)/2022
लखनऊ:: दिनांक 11 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

महानिदेशक, पर्यटन के दिनांक 31 मार्च, 2022 को प्रात: 10:15 बजे क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय,लखनऊ निरीक्षण के दौरान उक्त कार्यालय के दो कार्मिक-श्री गय्यूर अहमद, पर्यटक अधिकारी के दिनांक 01 जुलाई, 2021 से एवं श्री मुकुल वर्मा, पर्यटन सूचना अधिकारी के दिनांक 01 फरवरी, 2022 से कार्यालय से अनुपस्थित रहने, श्री गय्यूर अहमद के बिना चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कराये नियम विरूद्ध माह अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2022 तक के अर्ध वेतन अवकाश की स्वीकृति के बिना माह दिसम्बर, 2021 का पूर्ण वेतन आहरित कर भुगतान किये जाने तथा उक्त कार्मिकों को समय-समय पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, लखनऊ द्वारा निर्गत किये गये कारण बताओं नोटिस को महानिदेशक, पर्यटन कार्यालय को प्रेषित न किये जाने, मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा वित्त पोषित जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित गेस्ट हाउस के निर्माण की परियोजना में मिट्टी भरान में अनियमितता किये जाने तथा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र- पलिया में स्थित पौराणिक स्थल पाण्डेय बाबा मन्दिर के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण की योजना में निर्गत सुसंगत शासनादेश का अनुपालन न किये जाने की अनियमितता पायी गयी। श्री अनुपमा श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ/कानपुर मण्डल का उपर्युक्त कृत्य सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(1), 3(2) के विपरीत है।

2- अत: उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में निहित व्यवस्था के तहत श्री अनुपम श्रीवास्ताव , क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ/कानपुर मण्डल को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3- श्री अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ/कानपुर मण्डल निलम्बन अवधि में कार्यालय महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

4- निलम्बन अवधि में श्री अनुपम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ/कानपुर मण्डल को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 (भाग-02 से 04) के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वह भत्ते की धनराशि अवशेष वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी तथा उन्हे जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के भत्ते के साथ कोई महॅगाई भत्ता देय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नही होगा, जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महॅगाई भत्ता अथवा महॅगाई भत्ते का उपन्तिक समायोजन प्राप्त नही था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि श्री श्रीवास्तव द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

श्री अनुपम श्रीवास्तव,
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ/कानपुर मण्डल
द्वारा महानिदेशक, पर्यटन।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सम्बन्धित अधिकारी की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया सम्बन्धित अधिकारी को आदेश की प्रति तत्काल प्राप्त कराकर पावती शासन को 02 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मण्डालायुक्त, लखनऊ/कानपुर।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
6. कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Article / shasanadesh.up.gov.in